न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़
(पीठासीन अधिकारी – श्री प्रमोदकुमार सिंघव आर.ए.एस.)

मिसल नं0 955/दावा/2017
दायरा दि0 25/10/2017

उनवान

चौथमल दत्तक पुत्र नारायण नावा0 जाति माली निवासी खण्डी जरिये वाद मित्र एवं संरक्षक राधेश्याम पुत्र देवीलाल जाति माली निवासी खण्डी तह0 खानपुर

— वादी

बनाम्

1. राधेश्याम पुत्र देवीलाल जाति माली निवासी खण्डी तह0 खानपुर
2. वाला उर्फ वालचंद पुत्र देवीलाल जाति माली निवासी खण्डी तह0 खानपुर
3. ग्यारसीबाई पत्नि भंवरलाल पुत्री देवीलाल जाति माली निवासी पनवाड़ तह0 खानपुर
4. राधाबाई पत्नि जगन्नाथ पुत्री देवीलाल जाति माली निवासी खण्डी तह0 खानपुर
5. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील खानपुर

– प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 92(ए), 188, 209 आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थित :– श्री ओमप्रकाश धनौलिया अधिवक्ता – वादी

निर्णय

दिनांक 18/07/2019

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। वादी ने यह वाद धारा 88, 91, 92(ए), 188, 209 आर.टी.एक्ट 1955 के अर्न्तगत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम खण्डी की जमाबंदी सं0 2070–73 की खतोनी सं0 179 की ख0नं0 352 की 1.04 वीघा, ख0नं0 354 की 0.01 वीघा, ख0नं0 355 की 0.11 वीघा कुल 3 किता रकबा 1.16 वीघा आराजी नारायण व राधेश्याम प्रति0नं0 1 ने चौथमल पुत्र जानकीलाल महाजन निवासी खण्डी से जर्ये रजिस्टर्ड बैचान पत्र दि0 20.05.1993 से संयुक्त रूप से क्रय की थी जिसमें नारायण का 1/2 हिस्सा व राधेश्याम का 1/2 हिस्सा था। ग्राम खण्डी की ही खतौनी सं0 233 की ख0नं0 314 की 0.03 वीघा, ख0नं0 316 की 0.16 वीघा, ख0नं0 356 की 1.00 वीघा कुल 3 किता की 1.19 वीघा आराजी राधेश्याम, वाला उर्फ वालचंद व नारायण के खाते व कब्जे काश्त की थी, जिसमें प्रत्येक का हिस्सा 3/10 था। इसी प्रकार ग्राम खण्डी में खतौनी सं0 232 की ख0नं0 100 की 5.19 वीघा, ख0नं0 312 की 0.11 वीघा, ख0नं0 349 की 2.02 वीघा, ख0नं0 357 की 0.16 वीघा, ख0नं0 359 की 0.07 वीघा, ख0नं0 834 की 7.03 वीघा कुल 6 किता की 16.18 वीघा आराजी राधेश्याम, वाला उर्फ वालचंद व नारायण के खाते व कब्जे काश्त की थी, जिसमें प्रत्येक का हिस्सा 1/5 था। प्रति0नं0 2 वाला को वालचंद के नाम से भी पुकारा जाता है। इसलिये एक जमाबंदी में उसका नाम वाला दर्ज है।

खातेदार नारायण की मृत्यु दिनांक 07.07.2017 को लाऔलाद हो गई है, उसकी पत्नि की भी मृत्यु वर्षों पूर्व हो गयी है। नारायण अपने जीवनकाल में प्रति0नं0 1 राधेश्याम के संग व शामिल में रहता था। दोनों का खाना एक ही चूल्हे पर बनता था। नारायण प्रति0नं0 1 राधेश्याम का सगा बड़ा भाई था। नारायण की सेवा बीमारी व अन्य समय में राधेश्याम व उसका परिवार ही करता था। वादी के माली समाज में पीढ़ियों से यह रिवाज चला आ रहा है कि निःसन्तान व्यक्ति यदि किसी लड़के को गोद लेता है तो गोद लेने की तारीख को गांव व समाज के व्यक्ति एकत्रित होते हैं तथा गोदजाने वाले लड़के के पिता गोद जाने वाले लड़के को गोद लेने वाले व्यक्ति की गोद में

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

बिठाते हैं तथा गोद लेने वाला व्यक्ति इस खुशी में समाज व परिवार के लोगों को अपनी हैसियत के अनुसार रसोई करता है तथा गोद जाने वाला लड़का उसी दिन से गोदलेने वाले व्यक्ति का दत्तक पुत्र कहलाता है और गोद लेने वाला व्यक्ति दत्तक पिता हो जाता है। चूँकि मृतक नारायण के कोई औलाद नहीं थी तथा वह वादी के परिवार के साथ ही रह रहा था इसलिये नारायण ने वादी के पिता राधेश्याम से गोद लेने की बात कही जिसको प्रति0नं0 1 राधेश्याम ने स्वीकार कर लिया क्योंकि मृतक राधेश्याम के साथ ही रहता था। दिनांक 11.05.14 को मृतक नारायण ने अपने गांव व समाज के लोगों को बुलवाया तथा सांयकाल को करीब 4–5 बजे वादी चौथमल को गोद लिया। प्रति0नं0 1 राधेश्याम व उसकी पत्नि ललताबाई ने वादी चौथमल को मृतक नारायण की गोद में बिठाया जिसको मृतक नारायण ने अपना पुत्र बनाना स्वीकार किया, शाम को गोद लेने का कार्यक्रम पूरा होने के बाद नारायण ने अपने समाज व गांव के लोगों को रसोई की तथा वादी चौथमल को अपना दत्तक पुत्र होना स्वीकार किया तथा वादी चौथमल दिनांक 11.05.2014 से मृतक नारायण का दत्तक पुत्र व उसका कानूनी वारीस हो गया, जिसको समाज व गांव के सब लोगों ने भी मान्यता दी और इस प्रकार वादी चौथमल मृतक नारायण का दत्तक पुत्र है तथा नारायण की समस्त चल व अचल सम्पत्ति का मालिक व वारीस है।

नारायण की मृत्यु के पश्चात दाह संस्कार, कपाल किया, अस्थि विर्सजन आदि समस्त कार्यक्रम वादी चौथमल ने अपने पूर्व पिता के सहयोग से पूरे किये हैं तथा बारह दिन बाद नारायण के उत्तराधिकारी की पगड़ी भी वादी के ही बांधी गई, जिसमें गांव, समाज व परिवार के सभी लोग उपस्थित थे। इस संबंध में किसी ने कोई आपत्ति भी नहीं की। इसके बाद भी पटवारी हल्का ने मृतक नारायण का फौती इंतकाल नं0 1499 दि0 19.07.2017 को वादी को बिना सुने एवं सूचना दिये प्रति0नं0 1 लगा0 4 के हम में तस्दीक करा दिया, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विरूद्ध होने से कानूनन गलत था और ऐसा नामान्तकरण अवैध व शून्य है। जब तक नारायण जीवित था तब तक उसके हिस्से की आराजी को खुद काश्त करता था तथा चौथमल के पूर्व पिता इसमें उसकी मदद करते थे तथा नारायण की मृत्यु के पश्चात उसके हिस्से की आराजियात वादी के कब्जे, काश्त में है तथा वादी के पूर्व पिता प्रति0नं0 1 आराजी को काश्त करने में मदद करते हैं। नारायण की मृत्यु के पश्चात जैसे ही यह अवैध नामान्तकरण प्रतिवादीगण के हक में तस्दीक हुआ तो यह नारायण के हिस्से की आराजी पर कब्जा करने व इसे खुर्द बुर्द करने के लिये प्रयासरत हैं जबकि मृतक नारायण के हिस्से की आराजी में वादी चौथमल के अतिरिक्त प्रतिवादीगण का कोई हिस्सा, हित व अधिकार नहीं है। वादी चौथमल तथा उसके वादमित्र व पूर्व पिता के हित में कोई टकराव नहीं है। प्रति0नं0 3, 4 का आराजी पर कभी भी कब्जा नहीं रहा और न आज कब्जा है। वादी नारायण का दत्तक पुत्र होने से वादग्रस्त आराजी में नारायण के हिस्से का खातेदार टीनेंट घोषित होने का अधिकारी है। प्रति0नं0 2 लगा0 4 नारायण के हिस्से की आराजी को खुर्द बुर्द करने पर आमादा हैं ऐसे में इनको स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। वाद कारण दि0 8.10.17 को उत्पन्न हुआ जब वादी ने प्रतिवादीगण से नारायण के हिस्से का वादी को खातेदार घोषित करवाओ लेकिन यह इंकार हो गये। अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वाद, वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिक्री फरमाया जावे कि ग्राम खण्डी की खतौनी सं0 179, 233, 232 में मृतक नारायण के हिस्से का खातेदार टीनेंट घोषित किया जावे तथा नारायण के हिस्से से प्रति0 1 लगा0 4 का नाम रेकार्ड से हटाया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। साथ ही प्रतिवादीगण को वाद के निर्णय तक स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जावे कि वह वर्णित आराजी में मृतक नारायण के हिस्से व कब्जे काश्त की आराजी में बेजा मदाखलत नहीं करें न आराजी को किसी को अंतरण करें। अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझें वह भी वादी को दिलायी जावे।

वाद, दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रति0 1 लगा0 5 के बावजूद सूचना के न्यायालय से अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी तथा वादी को साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया गया। अधिवक्ता वादी ने अपने वाद के समर्थन में वादी चौथमल, गवाह नंदकिशोर, कंवरलाल, राधेश्याम के बयान दर्ज कराये तथा दस्तावेज

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

Exp1 लगा0 Exp4 प्रदर्श कराये। तत्पश्चात साक्ष्य वादी बंद की जाकर अधिवक्ता वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि मृतक नारायण का ग्राम खण्डी की जमाबंदी सं0 2070–73 की खतौनी सं0 179 की 3 किता की 1.16 बीघा में 1/2 हिस्सा, खतौनी सं0 233 की 3 किता की 1.19 बीघा में 3/10 हिस्सा तथा खतौनी सं0 232 की 6 किता की 16.18 बीघा 1/5 हिस्सा था। प्रति0नं0 2 बाला को बालचंद के नाम से भी पुकारा जाता है। खातेदार नारायण दिनांक 07.07.2017 को लाऔलाद फौत हो गया है, उसकी पत्नि की भी मृत्यु वर्षों पूर्व हो गयी है। नारायण अपने जीवनकाल प्रति0नं0 1 राधेश्याम के साथ ही रहता था। यह प्रति0नं0 1 राधेश्याम का सगा बड़ा भाई था। नारायण की सेवा बीमारी व अन्य समय में राधेश्याम व उसका परिवार ही करता था। दिनांक 11.05.14 को मृतक नारायण ने अपने गांव व समाज के लोगों को बुलवाया तथा सांयकाल को करीब 4–5 बजे वादी चौथमल को गोद लिया। प्रति0नं0 1 राधेश्याम व उसकी पत्नि ललताबाई ने वादी चौथमल को मृतक नारायण की गोद में बिठाया जिसको मृतक नारायण ने अपना पुत्र बनाना स्वीकार किया, शाम को गोद लेने का कार्यक्रम पूरा होने के बाद नारायण ने अपने समाज व गांव के लोगों को रसोई की तथा वादी चौथमल को अपना दत्तक पुत्र होना स्वीकार किया तथा वादी चौथमल दिनांक 11.05.2014 से मृतक नारायण का दत्तक पुत्र व उसका कानूनी वारीस हो गया, जिसको समाज व गांव के सब लोगों ने भी मान्यता दी और इस प्रकार वादी चौथमल मृतक नारायण का दत्तक पुत्र है तथा नारायण की समस्त चल व अचल सम्पत्ति का मालिक व वारीस है। नारायण की मृत्यु के पश्चात सारे कियाकर्म दाह संस्कार, अस्थि विर्सजन आदि समस्त कार्यक्रम वादी चौथमल ने अपने पूर्व पिता के सहयोग से पूरे किये हैं तथा पगड़ी भी वादी के ही बांधी गई, जिसमें गांव, समाज व परिवार के सभी लोग उपस्थित थे। इस संबंध में किसी ने कोई आपत्ति भी नहीं की। इसके बाद भी पटवारी हल्का ने मृतक नारायण का फौती इंतकाल नं0 1499 दि0 19.07.2017 को वादी को बिना सुने एवं सूचना दिये प्रति0नं0 1 लगा0 4 के हम में तस्दीक करा दिया, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विरूद्ध होने से कानूनन गलत था और ऐसा नामान्तकरण अवैध व शून्य है। जब तक नारायण जीवित था तब तक उसके हिस्से की आराजी को खुद काश्त करता था तथा चौथमल के पूर्व पिता इसमें उसकी मदद करते थे तथा नारायण की मृत्यु के पश्चात उसके हिस्से की आराजियात वादी के कब्जे, काश्त में है। वादी चौथमल तथा उसके वादमित्र व पूर्व पिता के हित में कोई टकराव नहीं है। वादी नारायण का दत्तक पुत्र होने से वादग्रस्त आराजी में नारायण के हिस्से का खातेदार टीनेंट घोषित होने का अधिकारी है। हमने राजस्व रेकार्ड की नकलें पेश की हैं तथा गवाहान के बयान दर्ज कराये हैं, जिससे हमारा दावा साबित है। अतः हमारा दावा डिक्री किया जाकर वादी को ग्राम खण्डी की खतौनी सं0 179, 233, 232 में मृतक नारायण के हिस्से का खातेदार टीनेंट घोषित किया जावे तथा नारायण के हिस्से से प्रति0 1 लगा0 4 का नाम रेकार्ड से हटाया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। साथ ही प्रतिवादीगण को वाद के निर्णय तक स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जावे कि वह वर्णित आराजी में मृतक नारायण के हिस्से व कब्जे काश्त की आराजी में बेजा मदाखलत नहीं करें न आराजी को किसी को अंतरण करें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। वादी ने अपने आपको मृतक खातेदार नारायण का दत्तक पुत्र बताते हुये ग्राम खण्डी की खतौनी सं0 179, 233, 232 में स्थित नारायण के हिस्से का खातेदार टीनेंट घोषित करने एवं प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा पावन्द करने का यह वाद पेश किया है। Exp1 ग्राम खण्डी की जमाबंदी सं0 2070–73 की खतौनी सं0 179 की 3 किता की 1.16 बीघा है, जिसमें नारायण का 1/2 हिस्सा है तथा नामा0सं0 1499 दि0 14.09.17 से मृतक नारायण के 1/2 हिस्से पर राधेश्याम, बालचंद पुत्र देवीलाल, ग्यारसीबाई, राधाबाई पुत्रियां देवीलाल का नाम हि0व0 से दर्ज करने का नोट अंकित है। Exp2 खतौनी सं0 233 की 3 किता की 1.19 बीघा है, जिसमें नारायण का 3/10 हिस्सा दर्ज है तथा नामा0सं0 1499 दि0 14.09.17 से मृतक नारायण के 3/10 हिस्से पर राधेश्याम, बालचंद पुत्र देवीलाल, ग्यारसीबाई, राधाबाई पुत्रियां देवीलाल का नाम हि0व0 से दर्ज करने का नोट अंकित है। इसी प्रकार खतौनी सं0 232 की 6 किता की 16.18 बीघा है, जिसमें नारायण का 1/5

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

हिस्सा है तथा नामा0सं0 1499 दि0 14.09.17 से मृतक नारायण के 1/5 हिस्से पर राधेश्याम, बालचंद पुत्र देवीलाल, ग्यारसीबाई, राधाबाई पुत्रियां देवीलाल का नाम हि0व0 से दर्ज करने का नोट अंकित है। वादी चौथमल अपने बयानों में कहता है कि मृतक नारायण ने दिनांक 11.05.2014 को गांव व समाज के लोगों की मौजूदगी में एक कार्यक्रम किया जिसमें मेरे पिता राधेश्याम उसकी पत्नि ललताबाई ने वादी चौथमल को मृतक नारायण की गोद में बिठाया जिसको नारायण ने अपना पुत्र बनाना स्वीकार किया तथा इसी दिन शाम को गोद लेने का कार्यक्रम पूरा होने के बाद नारायण ने अपने समाज व गांव के लोगों को रसोई दी। इस प्रकार वादी नारायण का दत्तक पुत्र हो गया। वादी चौथमल अपने बयानों में आगे यह भी कहता है कि नारायण की मृत्यु के पश्चात सारे कार्यक्रम वादी चौथमल ने अपने पूर्व पिता के सहयोग से पूरे किये। नारायण की मृत्यु के पश्चात उपरोक्त वर्णित आराजी में नारायण के हिस्से का नामान्तकरण वादी व उसके पूर्व पिता को सूचना दिये बिना प्रति0 1, 2, 3, 4 के हक में तस्दीक कर दिया, जो अवैध व शून्य है व वादी के काश्तकारी अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है।

इसी प्रकार वादी का गवाह नंदकिशोर पुत्र पांथूलाल उम्र 63 वर्ष जाति धोबी निवासी खण्डी भी अपने बयानों में दिनांक 11.05.14 को नारायण द्वारा वादी चौथमल को गोद लेना, गोद में बिठाने का कार्यक्रम होना व इस उपलक्ष में नारायण द्वारा गांव व समाज के लोगों को रसोई देना कहता है। साथ ही यह गवाह अपने बयानों में आगे यह भी कहता है कि नारायण की मृत्यु के बाद होने वाले सभी कार्यक्रम वादी चौथमल द्वारा ही सम्पन्न किये गये हैं। साथ ही वादी का दूसरा गवाह कंवरलाल पुत्र भंवरलाल उम्र 60 वर्ष जाति माली निवासी खण्डी अपने बयानों में कहता है कि नारायण की मृत्यु दि0 7.07.17 को लाऔलाद हो गयी है, उसकी पत्नि की मृत्यु भी वर्षों पूर्व हो गयी, नारायण अपने जीवनकाल में राधेश्याम के संग व शामिल रहता था। नारायण ने दिनांक 11.05. 2014 को ने अपने गांव व समाज के लोगों को बुलवाया तथा सांयकाल 4–5 बजे वादी चौथमल को गोद लिया। राधेश्याम व उसकी पत्नि ललताबाई ने वादी चौथमल को मृतक नारायण की गोद में बिठाया जिसको मृतक नारायण ने अपना पुत्र बनाना स्वीकार किया। गोद का कार्यक्रम पूरा होने के बाद नारायण ने अपने समाज व गांव के लोगों को रसाई दी तथा चौथमल को अपना दत्तक पुत्र होना स्वीकार किया, जिससे वादी चौथमल दि0 11.05.14 से मृतक नारायण का दत्तक पुत्र है। यह गवाह आगे यह भी कहता है कि नारायण की मृत्यु के पश्चात सारे कियाकम वादी चौथमल ने ही किये हैं। मृतक नारायण का फौती नामान्तकरण गलती से प्रति0 1 लगा0 5 के हक में तस्दीक हुआ है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार दिनांक 11.05.14 को वादी चौथमल को उसके जनक माता–पिता द्वारा खातेदार नारायण को गोद देना एवं खातेदार नारायण द्वारा वादी चौथमल को गोद लेने की रस्म की अदायगी होना साबित है। इस प्रकार वादी चौथमल मृतक खातेदार नारायण का दत्तक पुत्र है और दत्तक पुत्र होने से वादी चौथमल ग्राम खण्डी की खतौनी सं0 179, 233, 232 की आराजी में स्थित अपने दत्तक पिता नारायण के हिस्से का खातेदार टीनेंट घोषित होने का अधिकारी है। चूँकि ग्राम खण्डी के नामा0सं0 1499 को तस्दीक करते समय पीठासीन अधिकारी द्वारा ग्रामवासीयान खण्डी एवं मृतक नारायण के वारीसान को तलब कर सुनवाई किये जाने का अभाव रहा है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का उल्लंघन है और ऐसा नामान्तकरण वादी के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। यहां प्रति0नं0 1 लगा0 4 बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये हैं, जिससे भी यही प्रकट होता है कि यह वादी के वाद से सहमत हैं। इस प्रकार वादी ने अपने वाद को बखूबी साबित कराया है। ऐसे में वादी, वाद में चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः वाद, वादी साबित होने से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा वादी चौथमल को ग्राम खण्डी की जमाबंदी सं0 2070–73 की खतोनी सं0 179 की कुल 3 किता रकबा 1.16 बीघा में मृतक खातेदार नारायण के 1/2 हिस्से, खतौनी सं0 233 की कुल 3 किता की 1.19 बीघा आराजी में मृतक खातेदार नारायण के 3/10 हिस्से एवं खतौनी सं0 232 की कुल 6 किता की 16.18 बीघा आराजी में मृतक खातेदार नारायण के 1/5 हिस्से का खातेदार टीनेंट घोषित

उपखण्ड अधिकारी
झानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

किया जाता है। साथ ही ग्राम खण्डी के नामा0सं0 1499 दि0 14.09.2017 को वादी के अधिकारों पर शून्य घोषित किया जाता है। प्रति0नं0 1 लगा0 5 का नाम मृतक नारायण के हिस्से की आराजी से हटाया जावे। राजस्व रेकार्ड में उक्तानुसार अमल दरामद हो। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। आराजी पर रहन का अंकन यथावत रहेगा। इस आशय का डिकी पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 18 /07/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner